

प्रेमक,

श्री अंगीक मांगुली,
 उप सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
 शिक्षा केन्द्र 2 नया राय केन्द्र,
 प्रीति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संलग्नक: दिनांक:

कागरी, 1994

विषय:- होती रीजियल पब्लिक स्कूल, कविनगर गाजियाबाद सी०बी०ए०ई० नई दिल्ली से सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कहे का निदेश हुआ है कि होती रीजियल पब्लिक स्कूल कविनगर गाजियाबाद को सी०बी०ए०ई० नई दिल्ली से सम्बन्ध प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं के अभाव आपत्ति नहीं है । :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सीताशुद्धी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघातित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से केविक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्ध केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीतिन फार दि ईडिपन स्कूल लॉफिफेट डबलामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था केविक एवं शिक्षिततर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा गतों बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आगामीय उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

For Holy Angel's Public School Samit
 For Holy Angel's
 Manage

AM

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पुस्तक/पंजीकों में रखा जायेगा

9- उक्त बातों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन संशोधन या परिष्करण नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय के लिए निर्धारित माप के अनुसार निजी भवन का निर्माण करवाकर 2 वर्ष में श्रावण को अंजगत कराया जाय ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूल या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

प्रमुख मांगी।
उप सचिव ।

पुं० 56 12111/15-7-1994 तददिनांक
=====

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुवनार्थ एवं आकाशक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मध्यम उप शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
- 4- निरीक्षक, अंगन भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रमुख, होमा संजित पब्लिक स्कूल, कपिलनगर, गाजियाबाद ।

आज्ञा है,

For Holy Angel's Public School Sarai

Handwritten signature

Manager

Handwritten signature
प्रमुख मांगी।
उप सचिव ।

Handwritten signature

Principal
Holy Angel's Sr. Sec. School
Main Branch Station
Kand Nagar, Meerut